

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग

क्रमांक:—एफ/13/1/3/आर.जी.आई./वीएस/डीईएस/2017/73

दिनांक:— 30.01.2025

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
जिला कलेक्टर, समस्त।

विषय:— जन्म/मृत्यु की एक वर्ष से अधिक विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए
कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के संबंध में।

संदर्भ— राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी.), जयपुर से प्राप्त ज्ञापन दिनांक
22.01.2025 के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी.), जयपुर से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 22.01.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार एक साल से अधिक पुरानी पंजीकृत जन्म/मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण किये जाने के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम 9 (3) के तहत जारी किये जाने वाले आदेश/अनुज्ञा में **“बाद जाँच सही पाये जाने पर”** अथवा **“जाँच पश्चात्”** इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रजिस्ट्रारों को कंडीशनल आर्डर/सशर्त आदेश अथवा अनिर्णयात्मक आदेश देते हैं और शपथपत्र को ही घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन मानते हैं। जबकि घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन किये जाने हेतु ही घटना का वर्णन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, का पत्रांक 1/20/2002— जीवनांक (सी.आर.एस.) राज. दिनांक 5.11.2004 (प्रति संलग्न) एवं इस विभाग के पत्रांक 11493—525 दिनांक 08.05.2012 (प्रति संलग्न) के द्वारा पूर्व में भी स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है

उक्त क्रम में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं— **Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after one year of its occurrence, shall be registered only on an order made by a District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or by an Executive Magistrate, having jurisdiction over the area where the birth or death has taken place, after verifying the correctness of the birth or death and on payment of such fee as may be prescribed.**

अतः आपके जिले के समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार को उपरोक्तानुसार पुनः निर्दिष्ट कर पाबन्द करावें कि एक साल से अधिक पुरानी जन्म/मृत्यु की घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन करने के पश्चात् ही संबंधित रजिस्ट्रार को घटना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए निर्णायक एवं स्पष्ट आदेश देवे न कि कंडीशनल/सशर्त आदेश।

भवदीया,



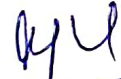
(अनुपमा जोरवाल)

विशिष्ट शासन सचिव

आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग

क्रमांक:—एफ/13/1/3/आर.जी.आई./वीएस/डीईएस/2017/74-106 दिनांक:— 30.01.2025
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



विशिष्ट शासन सचिव